

I/313206/2021



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
 सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलैंड, कोचिन
 CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in
 E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422
 Fax: 0484-2668468

सतर्कता परिपत्र सं. 04/2021
VIGILANCE CIRCULAR No. 04/2021

विषय: नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय -
 बायोमेट्रिक उपस्थिति को फिर से शुरू करने के संबंध में।

Sub: **Preventive measures to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19) – Resumption of Biometric attendance – reg.**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय विषय पर जारी कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 11013/9/2014-स्था.ए.III दिनांक 01.11.2021) - बायोमेट्रिक उपस्थिति की बहाली ' का अवलोकन किया जाए। कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार के कारण , वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में बायो-मीट्रिक उपस्थिति का अंकन निलंबित कर दिया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.11.2021 के माध्यम से इस निर्णय की समीक्षा की गई है और अब बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सतर्कता स्थायी आदेश संख्या 5/2019 दिनांक 22.07.2019 और सतर्कता परिपत्र संख्या 01/2021 दिनांक 23.09.2021 द्वारा सभी स्तरों पर अधिकारियों द्वारा उपस्थिति में समय की पाबंदी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में कड़ाई से अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

The Office Memorandum F. No. 11013/9/2014-Estt.A.III dated 01.11.2021 issued by the Department of Personnel & Training (DoPT) on the subject '*Preventive measures to contain the*

I/313206/2021

spread of Novel Coronavirus (COVID-19) – Resumption of Biometric attendance' may be perused. Due to the spread of Corona Virus (COVID-19), marking of Bio-metric attendance was suspended as a preventive measure to stop the spread of the virus. The decision has been reviewed by the DoP&T vide the O.M. dated 01.11.2021 and now it has been decided to resume to the Biometric Attendance System. Vide Vigilance Standing Order No. 5/2019 dated 22.07.2019 and Vigilance Circular No. 01/2021 dated 23.09.2021, instructions were issued for maintenance of punctuality in attendance by officers at all levels. In this regard, the following directions are issued for strict compliance:-

1. सभी कर्मचारियों द्वारा अब सोमवार , 8 नवंबर , 2021 से आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएस) पर अपनी उपस्थिति दर्ज की जानी है।

All employees are to henceforth record their attendance on the Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) with effect from Monday, the 8th November, 2021.

2. सभी कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में अपने हाथों को सैनिटाईज किया जाए।

All employees are required to sanitize their hands before and after marking of attendance.

3. सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करते समय छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाए।

Physical distancing of six feet must be maintained by all employees while marking their attendance.

4. सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने की प्रतीक्षा करते समय , हर समय मास्क/फेस कवर पहना जाए।

All employees shall be required to wear mask/face covers, at all times, including while waiting to mark their attendance.

5. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों में हर समय कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन किया जाए।

All officers/staff shall strictly follow the COVID-appropriate behaviour, at all times, in offices.

Digitally Signed by Mohd Yousaf P K

Date: 05-11-2021 15:31:18

Reason: Approved

(मोहम्मद यूसफ़ MOHD. YOUSAF)

सीमाशुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

I/313206/2021

प्रति To:

1. सभी अपर आयुक्त/संयुक्त आयु./उप. आयु./सहा. आयु./सभी अनुभाग All ADCs/JC/DCs/ACs/All Sections

प्रतिलिपि Copy to:

1. आयुक्त की फाईल **Commissioner's file**
2. सूचना पट्ट **Notice Board**
3. सीमा शुल्क अधीक्षक(ई डी आई)- सीमा शुल्क गृह कोचिन की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
Supdt. of Customs (EDI) - For publishing in the website of Custom House, Cochin.